रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2001/चैत्र 2, 1923

No. 190] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2001/CHAITRA 2, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2001

का.आ. 262 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के निम्नलिखित सदस्य का नाम अधिसूचित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 392(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2000 तथा का.आ. 963(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2000 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) उपशीर्ष ''नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (ज) के तहत महिलाओं के प्रतिनिधि'' उप-शीर्ष के अन्तर्गत क्र. सं. 110 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नांकित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

''110 ग.	श्रीमती राजम गणेशन, 3-5-273, विट्ठलवाड़ी नारायनगुडा हैदराबाद-500 029.	सदस्य''

[फा. सं. 2(4)/99-सी पी यू]

संतोष नौटियाल, अपर सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 18 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना का.आ. 392(अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसको का.आ. 450(अ), तारीख 10 मई, 2000 और का.आ. 696(अ) 26 जुलाई, 2000, का.आ. 759(अ), तारीख 18 अगस्त, 2000, का.आ. 949(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2000 और का.आ. 963(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2001

S.O. 262(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Consumer Protection Rules, 1987, the Central Government hereby notifies the name of the following as member of the Central Consumer Protection Council and for that purpose amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, NOs. S.O. 392 (E) dated 18th April, 2000 and S.O. 963(E) dated 31.10.2000 as follows, namely :-

In the said Notification:-

(i) Under sub-heading "representative of Women under clause (h) of sub rule (1) of rule 3.", after serial number 110B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"110C	Smt. Rajam Ganesan, 3-5-273, Vittalwadi, Narayanguda, Hyderabad-500 029	Member",

[F. No. 2(4)/99-CPU]

SANTOSH NAUTIYAL, Addl. Secy.

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India (extraordinary) part II, section 3, sub-section (ii) vide notification S.O 392(E) dated 18th April and amended vide S.O. 450(E) dated 10th May, 2000, S.O.696(E) dated 26th July, 2000, S.O. 759(E) dated 18.8.2000, S.O. 949(E) dated 20.10.2000 and S O.963(E) dated 31.10.2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2001.